

निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल
Director, ICAR-NDRI, Karnal

विषय (Subject)—पूरक नियम-31 के तहत अपनी कार से या किराये की टैक्सी से यात्रा के लिए अनुमति बावत्।
(Reg. permission to perform journey by own car or hired taxi under SR-31)

यह प्रस्तुत है कि राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में निम्नलिखित विवरणानुसार आयोजित होने वाली डी.पी.सी./बैठक/कार्यक्रम आदि में संस्थान के बाहर से नीचे दिए गए प्राधिकारी/अधिकारी/व्यक्ति को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है एवं उन्होंने यह अवगत कराया है कि करनाल आने एवं वापसी की निम्न यात्रा हेतु वे स्वयं की कार या किराये के वाहन से पूरी करेंगे चूँकि सार्वजनिक परिवहन के साधन आसानी से सुलभ नहीं हैं :-

It is submitted that a DPC/meeting/Programme etc. as per undermentioned programme is being held at ICAR-NDRI, Karnal, in which the following authority/ officer/ individual have been invited and they have informed that they will have to perform journey to Karnal and back by their own car or hired taxi for attending the venue, as travel by public conveyance is not comfortably available :-

क्र. सं. Sl. No.	आमंत्रित प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति का नाम, पदनाम व कार्यालय (गंतव्य स्थान) Name, designation & office(Destination) of the invited authority, officer or individual	डीपीसी, बैठक या कार्यक्रम आदि का नाम एवं आयोजन की तिथि, समय व अवधि Name of DPC, Meeting or programme etc. and its date/time/period	आमंत्रित व्यक्ति किस क्षमता में शामिल होंगे(अध्यक्ष, सदस्य, या विशेषज्ञ आदि) The invitees are attending in which capacity (Chairman, Member or Expert etc.)	स्वयं की कार या किराये की टैक्सी से यात्रा का ब्यौरा (कहाँ से कहाँ तक व किमी) Details of journey to be performed in own vehicle or hired taxi(from--to with KMs)	फंड का स्रोत Source of Fund
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अतः अनुरोध है कि उनके द्वारा सार्वजनिक हित में उक्त उद्देश्य के लिए स्वयं की कार से या किराये की टैक्सी से की गई यात्रा के लिए पूरक नियम-31 के तहत अनुमति प्रदान करें।

It is therefore, requested that the permission may kindly be accorded under SR-31 to travel by own car or hired taxi in public interest for the said purpose.

हस्ताक्षर/ Signature

नाम/ Name

पदनाम/ Designation.....

प्रभाग/ Division.....

प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी (HOD/Section Incharge)

निदेशक/ Director

नकदी एवं देयक अनुभाग -तीन(III)
भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान,
करनाल-132001

फा.सं. नकदी एवं देयक-III / विविध / 2018-19-

दिनांक : 15 / 1 / 2019

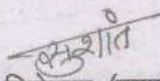
परिपत्र

यह संज्ञान में आया है कि नकदी एवं देयक अनुभाग में काफी संख्या में ऐसे प्रस्ताव/बिल प्राप्त हुए हैं, जिनमें मौखिक परीक्षा(Viva) के लिए बुलाए गए विशेषज्ञों/परीक्षकों को तथा अन्य सरकारी उद्देश्य के लिए अपनी कार अथवा किराए की टैक्सी द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय माइलेज का पूरा किराया दिया जा रहा है, चाहे उनकी यात्रा का स्थान रेल/बस द्वारा जुड़ा हुआ है। अधिकांश वैज्ञानिक दौरे पर होने पर भी क्रय अनुभाग द्वारा किए गए रेट कान्ट्रेक्ट के अनुसार रेल/बस द्वारा जुड़े स्थानों के बीच भी अपनी यात्रा किराए की टैक्सी द्वारा करते हैं।

एस आर. 31 नियम के अनुसार एक सक्षम अधिकारी, विशेष कारणवश जिसे कि सक्षम अधिकारी विशेष कारणों से रिकार्ड करता है माइलेज भत्ते की अनुमति देता है ऐसे में माइलेज भत्ता छोटे से छोटे अथवा सबसे सस्ते तरीके से परिकलित किया जाता है बशर्ते कि यात्रा वास्तव में ऐसे रूट द्वारा की गई हो। यदि सक्षम अधिकारी विशेष कारण को स्वीकार नहीं करता है तो दावा केवल उसी श्रेणी का दिया जाएगा जिसके लिए वास्तव में वह अधिकारी पात्र है, लेकिन दैनिक भत्ता सम्पूर्ण अनुपस्थिति के दौरान स्वीकार्य होगा यदि यात्रा सड़क अथवा रेलमार्ग द्वारा की गई है।

सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भविष्य में केवल उन्हीं मामलों में सम्पूर्ण स्थानीय माइलेज स्वीकार्य/स्वीकृत होगा जहां यात्रा सड़क मार्ग द्वारा जनहित में की गई है तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति विशेष कारण के लिए नियम एस आर 31 के अन्तर्गत प्रदान की गई है तथा उसे रिकार्ड किया जाना चाहिए अन्यथा दावा केवल पात्र श्रेणी के वास्तविक किराए का ही प्रतिबंधित/सीमित होगा।

इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


संयुक्त निदेशक (प्रशा.) एवं कुलसचिव

वितरण

1. सभी प्रभाग/अनुभाग अध्यक्ष, राडेअनुसं, करनाल
2. वित्त नियंत्रक, राडेअनुसं, करनाल
3. प्रशा.अधि.(क्रय) अनुभाग राडेअनुसं को इस अनुरोध के साथ कि वह रेट कान्ट्रेक्ट में कथित खंड को शामिल करें जिसका अनुमोदन निदेशक महोदय द्वारा नोटिंग शीट पर दिया गया है।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, नकदी एवं देयक I एवं II अनुभाग, रा.डे.अनुसं., करनाल

858
10/1/19
Sd/-
On 10/1/19
Sd/-

ICAR-NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE
CASH & BILL SECTION-III
KARNAL

No.C&B-III/Misc./2018-19-

Dated: 15/01/2019

CIRCULAR

It has been observed that a number of proposals/bills have been received in C&B Section regarding giving full local mileage to the expert/examiner called for viva & other official purpose and using own car/hired taxi for performing their journey between places connected by rail/bus. A number of Scientist has also perform their journey on tour by hired taxi between places connected by rail/bus as per the rate contract awarded by the Purchase Section.

As per SR 31 rule "a competent authority may, for special reason which should be a competent authority may, for special reasons which should be recorded, permit mileage, allowance to be calculated on a route other than the shortest or cheapest, provided that the journey is actually performed by such route. In absence of the special reason not accepted by the competent authority the claim will be restricted/limited to the real fare of the entitled class, but daily allowance for the entire absence will be admissible whether the journey is performed by road or rail."

Accordingly as decided by Competent Authority, in future the full local mileage will be admissible/admitted in those cases where travel by road in public interest and sanction of the competent authority is accorded under SR 31 for special reason which should be recorded otherwise the claim will be restricted/limited to the real fare of entitled class

This issues with the approval of Director.

Jt nt Director(A)&R

Distribution

1. All Heads of Divisions/Sections
2. Comptroller NDRI Karnal
3. A.O.(P)Section NDRI Karnal with the request to insert the said clause in the Rate Contract also which is approved by the Director on the noting
4. DDO C&B I & II NDRI Karnal